न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (429)

प्र.क्र. निग/ /2016 R-3795-I-16

सुनील कुमार शुक्ला पुत्र
विजेन्द्र कुमार शुक्ला
निवासी–झांसी , उ.प्र.

............आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) अनिल कुमार शुक्ला पुत्र
विजेन्द्र कुमार शुक्ला,
निवासी बड़ौदा तह. बड़ौदा
जिला– श्योपुर (म.प्र.)

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा
तहसीलदार बड़ौदा

......अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार बड़ौदा के प्र.क्र. 61/15-16/बी-121 एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 17/15-16/अ मा आदेश से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :- निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 01 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1900/1, 1901, 2434, 2436, 2576 कुल रकबा 2.446 हैक्टयेर स्थित है जो कि आवेदक एवं अनावेदक की पैतृक सम्पत्ती है उक्त वादित भूमि आवेदक की दादी श्यामादेवी के नाम थी जो कि न्यायालीन आदेश से प्राप्त हुई थी। उक्त वादित भूमि के संबंध में श्यामादेवी द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 01 के पिता श्री विजेन्द्र कुमार के हित में निष्पादित किया। तथा आवेदक के पिता द्वारा आवेदक की बिना सहमति से एक वसीयत नामा अनावेदक क्रमांक 01 के हक में निष्पादित किया गया था। उक्त वादित भूमि पर आवेदक एवं अनावेदक के चचेरे भाई बहनों एवं बुआओं का नाम चला आ रहा था। जिसे माननीय न्यायलय द्वारा अपने न्यायालीन आदेश निगरानी 1424/प्रथम/2016 एवं 1425/प्रथम/2016 आदेश दिनांक 19/05/2016 से पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश जारी

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (429)

प्र.क्र. निग/ /2016 R-3795-I-6

शुक्ला पुत्र

श्रीमान आदेश दि० 02/05/2017 के अनुसार प्रतिप्रार्थीगण क्र. 3 लगायत 10 निम्न सूची अनुसार संशोधन किया गया है।

3) श्रीमति कुसुम बाई बेवा विजेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी - ग्राम बडोदा जिला श्योपुर

4) श्रीमति सुधा मिश्रा पति श्री प्रदीप कुमार मिश्रा निवासी - स्टेट बैंक कालोनी जिला मंडला

5) हेमन्त कुमार पुत्र श्री विजय कुमार शुक्ला निवासी - चम्बल कालोनी - आटीपुर ग्वालियर

6) श्रीमति रेनु तिवारी पति पवन तिवारी निवासी - तिवारी बिल्डिंग मटेरियल खातीबाबा झांसी (उ.प्र.)

7) विजय लक्ष्मी पुत्री आनन्द दत्त शुक्ला पति स्व. श्री बाबूलाल तिवारी - निवासी - नल्वापुरा सानी तहसील गोरहरा जिला लखीमपुर खीरी (उ.प्र.)

8) श्रीमति रजनी पुत्री आनन्द दत्त शुक्ला पति श्री भूदेव मिश्रा निवासी - A-159 आवास - विकास नन्दनपुरा झांसी (उ.प्र०)

9) श्रीमति उषा पुत्री आनन्द दत्त पति श्री आर. एन. मिश्रा निवासी लाडपुरा कोटा - रेल्वे कालोनी कोटा (राजिस्थान)

10) श्रीमति सरला शुक्ला पुत्री आनन्द दत्त - शुक्ला पति स्व. यशपाल निवासी - 3 रंगपुर रोड रेल्वे स्टेशन कोटा - राजिस्थान

दि. 2.5.2017

कार्य
ताप्र अधि.
[signature]

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3795–एक / 16 जिला –श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
18–9–17	आवेदक के अधिवक्तागण श्री अंशू गुप्ता, श्री ओ0 पी0 शर्मा, एवं श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 17 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 8.6.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 2.5.17 को निवेदन किया गया था कि निगरानी मेमों में संशोधन कर अन्य नाम भूलवंश छूट जाने के कारण बढाये जाने हेतु स्वीकृति चाहते है। न्यायालय द्वारा नाम बढ़ाने हेतु मेमों में संशोधन करने की स्वीकृति दी । आवेदक अधिवक्ता द्वारा लाल स्याई से संशोधन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सत्यप्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर की संलग्न नहीं की गई है जिस पर से अनावेदक़ अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा बार–बार आपत्ति की जा रही है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–48 का आवेदन एवं धारा–5 का आवेदन मय शपथ–पत्र के साथ निगरानी मेमों के साथ प्रस्तुत किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 4.9.17 को स्थगन बढ़ाये जाने का निवेदन किया जिस पर से अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक	

आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण दिनांक 5.9.17 को नियत कर लिया जावे, क्यों कि वह दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं। अनावेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार कर प्रकरण दिनांक 5.9.2017 को प्रस्तुत हुआ। तर्क के दौरान उनके द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय की छाया प्रति प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त के न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 17 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 8.6.16 के विरूद्व प्रकरण कमांक 282 / अपील / 2015–16 पर दर्ज होकर दिनांक 6.6.16 को स्थगन दिया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण के विरूद्व दो न्यायालयों में प्रकरण संचालित किया गया जा रहा है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 17 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 8.6.16 के विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रकरण कमांक 282 / अपील / 2015–16 पर दर्ज होकर दिनांक 6.6.16 को स्थगन दिया गया है। तथा इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 17 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 8.6.16 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। दोनों न्यायालय में एक साथ प्रकरण संचालित नहीं किये जा सकते। यह प्रकरण प्रचलनशीलता के आधार पर निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य